केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

Ad.No.01-04/2020-21/Admn./CSU/SRKCD/ २२३ Dated : 06-10-2020

निविदा – सूचना

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग द्वारा संचालित छात्रावास हेतु मैस में भोजन उपलब्ध करवाने के लिये वैध अनुज्ञाधारी संवेदकों से सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। सीलबंद निविदायें परिसर में दिनांक 13.10.2020 को सायं 2.00 बजे तक पहुंचने चाहिये। निविदाऐं खोलने की सूचना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग की वेबसाईट www.srkcampus.org पर देखें।

(प्रो. के.बी. सुब्बरायुडु)
निदेशक

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग के छात्रावास में मैस व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। मैस चलाने के वैध अनुज्ञाधारी एवं अनुभवी ठेकेदार अपने मैस संचालन के लाइसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के साथ निम्नलिखित शर्तो तथा नियमों के अनुसार अपनी दरें प्रस्तुत करेंः –

1. निविदाकर्ता को निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफे में अनुभव प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि एवं लाईसेंस की प्रति तथा द्वितीय लिफाफे में वित्तीय दरें प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफे में प्रस्तुत विवरण के अनुसार योग्य पाये गये संवेदकों द्वारा प्रस्तुत द्वितीय लिफाफा खोला जायेगा।
2. निविदाकर्ता फर्म के पास कूक लाईसेंस, प्रमाण–पत्र, इन्श्योरेन्स आदि होना चाहिये।
3. निविदाकर्ता को किसी शासकीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान/अन्य प्रतिष्ठान में मैस/कैन्टीन के संचालन का कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं सक्षम विभाग से खाद्य पदार्थ परोसने/उपलब्ध कराने की अनुज्ञा प्राप्त होनी चाहिये।
4. निविदादाता को निविदा जमा करते समय रूपये 10,000/– निदेशक, केन्द्रीय सस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग को देय राष्ट्रियकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट बोली प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा।
5. मैस चलाने के लिए परिसर द्वारा स्थान, बिजली, पानी आदि उपलब्ध करवाया जायेगा शेष व्यवस्थायें जैसे बरतन, गैस भट्टियां, बडे साइज के फ्रीज आदि की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी तथा सैनेट्री एवं बिजली सम्बन्धी टूट–फूट की मरम्मत ठेकेदार को करवानी होगी।
6. निविदा स्वीकृति के पश्चात मैस प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर अनुबंध राशि की 10 प्रतिशत राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा परिसर में जमा करवानी होगी तथा तत्पश्चात् 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
7. प्रतिदिन मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन में दाल, चावल, सब्जी, चपाती, सलाद व आचार देना होगा।

8. सप्ताह में एक दिन विशेष भोजन (एक समय) जिसमें खीर, पुडी, सब्जी नमकीन/पकौडे/मिठाई, सलाद आचार आदि देने होंगे।
9. प्रतिदिन नाश्ता दलिया–चना, छोले–पूरी, पराठें–दही, पोहा–चट्नी, ब्रेड पकौड़ा, सेमिया–चना एवं छोले भठूरे की व्यवस्था करनी होगी।
10. पूर्वानुमति के बिना छात्रावास में रह रहे छात्रों के अलावा बाहरी व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
11. छात्रों की छात्रावास में सही संख्या की जानकारी प्रवेश के पश्चात् ज्ञात होगा।
12. संस्थान में घोषित अवकाश के अथवा संस्थान द्वारा क्रीडा आदि के लिए प्रतिनियुक्ति के दौरान अवकाश अवधि का भोजन शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।
13. किसी विशेष परिस्थिति में यदि छात्र पूर्वानुमति से लम्बी अवधि तक छात्रावास में अनुपस्थित रहता है तो उस अवधि का भोजन शुल्क वसूल नहीं किया जायेगा।
14. भोजन के लिये प्रयुक्त होने वाली सामग्री का निरीक्षण इस उद्देश्य हेतु गठित छात्रों की समिति द्वारा कराना होगा तथा उक्त समिति के द्वारा निर्धारित साप्ताहिक मैनू के अनुसार प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराना होगा।
15. एक ही सब्जी सप्ताह में लगातार दो बार से अधिक नहीं परोसी जायेगी।
16. भोजनालय में प्रयुक्त सामग्री यथा चटनी, करी भोजनालय में ही तैयार करनी होगी। बाहर से प्रसंस्कारित सामग्री प्रयुक्त नहीं की जायेगी।
17. छात्रावास में छात्रों के लिए खाना बनाने हेतु एवं खाना परोसने के लिए स्वयं के द्वारा पुरुष कर्मी तैनात करनी होगी।
18. मैस की सफाई, रखरखाव और बर्तनों की सफाई मैस संचालक को अपने आदमियों से करवानी होगी।
19. छात्रो को नाश्ता प्रातः 7.30 से 8.30 तक कराना होगा साथ ही उसी समय लंच भी पैक करना होगा। रात्रि भोजन का समय 8.00 से 9.00 बजे तक रहेगा।
20. मैस में तैनात श्रमिकों के सम्बन्ध में ठेकेदार को राज्य एवं केन्द्र के श्रम नियमों का पालन करना होगा। मैंस के अन्दर व बाहर होने वाली गंदगी की प्रतिदिन सफाई का दायित्व ठेकेदार का होगा।
21. निविदादाता द्वारा परिसर के आदेश पर विशेष आयोजनों के अवसर पर स्पेशल थाली उपलब्ध करवानी होगी। जिसमें दाल, चपाती, चावल एक सीजनल सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता आचार, सलाद पापड एवं स्वीट डिश देना होगा।
22. मैस में कार्य करने वाले कर्मचारियों की पूर्व लिखित सूचना कार्यालय में इनकी व्यक्तिगत जानकारियों सहित देना अनिवार्य होगी। कोई भी कर्मचारी संदेहास्पद चरित्र एवं आचरण का नहीं होना चाहिए। ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों के कृत्यों के

कारण संस्थान की सम्पति को होने वाली हानि का दायित्व ठेकेदार का होगा तथा उक्त हानि की वसूली उसको देय मासिक बिल से की जायेगी।

23. मैंस की कैटरिंग व्यवस्था का सुपरविजन स्वयं ठेकेदार के द्वारा अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा तथा वह निरन्तर निदेशक, छात्रावास अधिष्ठाता एवं सह अधिष्ठाताओं के सम्पर्क में रहेगा। ठेकेदार को परिसर के छात्रावास अधिष्ठाता एवं उप–अधिष्ठाता एवं अन्य अधिकारियों के निर्देशों की समुचित पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा मैंस में उपलब्ध कराये जाने वाले खाने को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

24. मैंस में कार्य करने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

25. ठेकेदार द्वारा मैस में तैनात कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा मैस में निर्धारित स्थान पर शिकायत पुस्तिका रखनी होगी। सप्ताह में एक बार उक्त पुस्तिका को निदेशक के समक्ष रखना होगा।

26. ठेकेदार अनुबन्ध अवधि तक कार्य नहीं छोड सकेगा और यदि बीच में कार्य छोडा गया तो नवीन ठेके से परिसर को होने वाली क्षति की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

27. मैंस संचालन का ठेका स्वीकृति आदेश जारी करने के दिनांक से सत्रांत तक के लिये किया जायेगा। इस अवधि के बाद यदि नया ठेका देने की प्रक्रिया में कुछ देर हुई तो चल रहे ठेके की अवधि का कार्य उक्त अनुबंध की दर पर ही करना होगा।

28. ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उसका ठेका 15 दिवस की सूचना देकर निदेशक, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर द्वारा समाप्त किया जा सकेगा और उसकी अमानत राशि जब्त की जा सकेगी।

29. निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक का होगा।

30. ठेके की अवधि में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय को मानने हेतु बाध्य होगा ओर इस सम्बन्ध में उसकी कोई आपत्ति नहीं होगी।

31. निविदा स्वीकार हो जाने पर कार्यकारी आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो निविदा शुल्क 10,000/– रूपये जब्त कर लिया जायेगा तथा प्रथम स्वीकृत निविदा के बाद आगामी निविदाकर्ता को कार्यकारी आदेश जारी किया जायेगा।

32. कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर एवं बार–बार लापरवाही एवं अनियमितता के फलस्वरूप शास्ति अधिरोपित किये जाने की दशा में निविदाकर्ता को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं आगामी निविदा में भाग लेने से रोका जा सकेगा।

33. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दोनों पक्षों की सहमति होने पर अनुबंध आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

34. प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना छात्रावासी छात्रों के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए भोजन नहीं दिया जायेगा।

35. छात्रों की भोजनशाला में उपस्थित का लिखित रिकार्ड छात्रों से हस्ताक्षर कराकर या टोकन व्यवस्था बनाकर रखना होगा।

36. संस्थान परिसर में अवकाश होने पर छात्र पूर्व सूचना देकर छात्रावास में नहीं रहता है तो उसका भोजन शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

37. किसी विशेष परिस्थिति मे छात्र को छात्रावास से बाहर जाना होता है तो उसकी अनुपस्थिति प्रमाणित होने पर उन दिनों भोजन शुल्क छात्र से नहीं वसूला जा सकेगा या छात्रा इसकी विधिवत सूचना देकर जाता है।

38. सामान्यतया शनिवार एवं रविवार के दिनों में छात्र छात्रावास में नहीं रहता है तो भी उसे इन दिनांक का भोजन शुल्क देना होगा।

39. भोजन व्यवस्था अनुशासित रखने के सभी उपाय किय जाने आवश्यक होंगे।

40. नाश्ता, मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन के अतिरिक्त यदि छात्र अन्य खाध्य् सामग्री की मांग करता है तो व्यवस्था शुल्क लेकर करनी होगी।

41. भोजनालय से बाहर संस्कारित रसोई सामग्री (चटनी, कटी सब्जी,आदि) उपयोग में नहीं लायी जा सकेगी।

विशेष :–

1. आटा, चावल, दाल, मसाले, घी–तेल की गुणवत्ता निर्धारित हो (निविदा में)
2. सब्जियों में आलू की मात्रा कम हो। (दो तिहाई सब्जी – एक तिहाई आलू हो सकता है)
3. दूध अधिक गुणवत्ता का प्रयोग किया जाए ।
4. सभी सब्जियां ताजी हो तथा टमाटर आदि का उपयोग पीसकर न हो बल्कि काटकर हो।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिये एवं भोजन की गुणवत्ता जिस दिन कम होगी उस दिन के भुगतान से 30 प्रतिशत कटौति होगी। शेष सभी शर्ते निविदा के अनुसार।

6/10/2020

(प्रो. के.बी. सुब्बरायुडु)
निदेशक

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

भाग दो

(प्रथम लिफाफे में रखना हैं)
प्रमाण–पत्र

(ऐजेन्सी का नाम) .... केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग के छात्रावास में मैंस के संचालन हेतु निविदा भर रहे हैं। मुझे पिछले दो वर्ष का निम्न शासकीय कार्यालयों/उपक्रमों/अन्य संस्थाओं में मैस/कैन्टीन चलाने का अनुभव है। जिनका प्रमाण पत्र तथा वैध अनुज्ञा (लाइसेंस) पत्र की प्रति भी निम्नानुसार संलग्न हैं: –

क्रमांक	शासकीय कार्यालय/उपक्रम का नाम	कार्य करने की अवधि

फर्म का टिन नं:——————————————
फर्म का जीएसटी नं:———————————————

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व पता

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग (उत्तराखण्ड)

(द्वितीय लिफाफे में रखना है)

छात्रावास में मैस संचालन निविदा फार्म शैक्षणिक सत्र 2020–2021
निविदा का विवरण

1. ऐजेन्सी / फर्म का नाम :————————————————————
2. निविदाकार का नाम :————————————————————
3. पिता का नाम :————————————————————
4. कार्य का पूर्ण अनुभव :————————————————————
5. निविदाकार का पता :————————————————————
6. टिन नम्बर :————————————————————
7. अन्य :————————————————————

निविदाकार के हस्ताक्षर

(एजेन्सी का नाम) .... ने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर, देवप्रयाग की मैंस हेतु निविदा सूचना का अवलोकन कर लिया है और शर्तो का भी अध्ययन कर लिया है। हम उनके पालन करने का वचन देते हैं।

<u>छात्रावास छात्रों हेतु</u>

1. साधारण थाली नाश्ता, मध्याह्न भोजन एवं रात्रि भोजन सहित प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रूपये ....

<u>कार्यक्रम के अवशर पर</u>

2. स्पेशल थाली रूपये .... प्रति व्यक्ति की दर पर कार्यं करने के लिए सहमत होकर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर